

केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितीय तल, बी विंग, अगस्त क्रांति भवन
भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066.

संचिका सं.CICOM/R/2017/01088

दिनांक. 04.09.2017

सेवा में,

सुश्री/श्री नीरू लाल,
प्रभारी अनुभाग अधिकार,
आर.टी.आई. सेल,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
निर्माण भवन, नई दिल्ली ।

विषय:- सुश्री नंदिनी वर्मा के दिनांक 25.07.2017 के आर.टी.आई. आवेदन से संबंधित सूचना ।

- संदर्भ:- 1. आपके कार्यालय के पत्रांक A.60011/FTS-612134/2017-RTI Cell DATED.31.07.2017
2. प्रधान लेखा कार्यालय, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के पत्र सं. 28011/5/प्र.ले.का./प्रशासन/पीपीजीपी/आर.टी.आई.

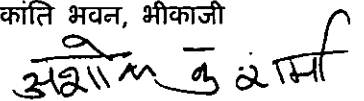
महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक सुश्री नंदिनी वर्मा के दिनांक 25.07.2017 का आर.टी.आई. आवेदन जो कि आपके कार्यालय द्वारा कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, लोकनायक भवन, नई दिल्ली को (संदर्भ -1) तथा कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, लोकनायक भवन, नई दिल्ली द्वारा केन्द्रीय सूचना आयोग को (संदर्भ- 2) आवेदन के बिंदु सं. 5 से संबंधित सूचना प्रदान करने हेतु अग्रसारित किया गया है तथा जो दिनांक 31.08.2017 को केन्द्रीय सूचना आयोग में डायराईज हुआ (डायरी सं. 160686) तथा आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में दिनांक 01.09.2017 को प्राप्त हुआ है, का संदर्भ ग्रहण करें ।

उक्त आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. 5 का अवलोकन करने पर पाया गया कि पूछा गया प्रश्न कि "अगर प्रार्थना पत्र खारिज हो जाते हैं तो पीडिता के पास क्या अपील का कोई उपाय है"। यह प्रश्न वस्तुतः आवेदन के बिंदु सं 4 से संबंधित मुआवजे हेतु प्रार्थना पत्र के खारिज होने के संदर्भ में है, जिसका केन्द्रीय सूचना आयोग से कोई संबंध नहीं है ।

और अगर यह प्रश्न आर.टी.आई. आवेदन के खारिज होने से संबंधित है तो आवेदक को सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 का अवलोकन करना चाहिए जो कि केन्द्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट पर <http://cic.gov.in/sites/default/files/rti-actinhindi.pdf> पर उपलब्ध है, इसके अलावे आर.टी.आई. आवेदन खारिज होने से संबंधित अन्य कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील श्री आर. के. सिंह, अपर सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली- 110066, दूरभाष सं. 011-26162290 पर की जा सकती है ।



(ए. के. शर्मा)

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
आर.टी.आई.सेल

प्रतिलिपि:-

सुश्री नंदिनी वर्मा,